



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265716
CG-DL-E-26082025-265716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3813]
No. 3813]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 3918(अ).— राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया को दिनांक 6.10.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मंडल में पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7/11/2018-एसी]

रत्नाकर झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3918(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Dr. Ravindra H. Dholakia, Director, Central Board of Reserve Bank of India (RBI) on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) w.e.f. 06.10.2025 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 7/11/2018-AC]

RATNAKAR JHA, Under Secy.